महाराष्ट्र राज्य

वी.

पंकज जग्गी नगर

(2021 की आपराधिक अपील संख्या 1493)

3 दिसंबर, 2021

[एम. आर. शाह और संजीव खन्ना, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860-एस. एस. 384,386,387 आर/डब्ल्यू। धारा 34-महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 - एस. 23 (1) (ए) और एस। 21 (4) — अभियोजन का मामला कि एक द्वारा संगठित अपराध किया गया था अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर और यह भी पाया गया कि समय-समय पर प्रतिवादी इस तरह के संगठित अपराध के लिए राशि का भुगतान कर रहा था

सिंडिकेट और अन्य गिरोह जो उक्त राशि का उपयोग उन्हें राशि का भुगतान करके अन्य सदस्यों की मदद लेने के लिए करते थे और यह भी पाया गया कि प्रतिवादी मटका व्यवसाय चला रहा था

जाँच के बाद एक आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था

आई. पी. सी. के प्रावधानों के साथ-साथ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 (एम. सी. ओ. सी. ए.) के तहत-प्रतिवादी-अभियुक्त ने विशेष न्यायाधीश के समक्ष जमानत याचिका दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया-उच्च न्यायालय का एकल न्यायाधीश भी प्रतिवादी को कोई राहत देने के लिए इच्छुक नहीं था और आवेदन था

इसके बाद वापस ले लिया गया, अभियुक्त ने उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष रिट याचिका दायर की और एस को रद्द करने की मांग की। 23 (1) (ए) और एस। 21 (4) जैसा कि उक्त प्रावधान असंवैधानिक और कला का उल्लंघन करने वाले थे। 14 और संविधान के 21

- उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने कहा कि अतिरिक्त पुलिस आयुक्त द्वारा मंजूरी देते हुए पारित आदेश

एम. सी. ओ. सी. ए. के प्रावधानों के आह्वान के लिए दिमाग का उपयोग न करने से पीड़ित है और प्रतिवादी को जमानत पर रिहा करके अंतरिम राहत दी गई है-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ कथित अपराधों की गंभीरता पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है।

अभियुक्त-जाँच के बाद यह पाया गया कि प्रतिवादी अभियुक्त मटका व्यवसाय चला रहा है; एक को धन प्रदान कर रहा है

अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर और उसके गिरोह; कि आरोपी हथियार, जानकारी खरीदने के खर्च के लिए धन की व्यवस्था कर रहा है और वह संगठित अपराध सिंडिकेट का सक्रिय सदस्य है-उच्च न्यायालय ने अन्य अपराधों के संबंध में आरोपों पर विचार नहीं किया है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आई. पी. सी.-उच्च न्यायालय ने आरोपी को एम. सी. ओ. सी. ए. के तहत अपराध के लिए अंतरिम राहत स्तर पर बरी कर दिया और अंतरिम स्तर पर प्रतिवादी को एम. सी. ओ. सी. ए. से दोषमुक्त करते हुए अंतिम राहत प्रदान की, जो पूरी तरह से अस्वीकार्य है-इसे आरोपी द्वारा मंच पर खरीदारी कहा जा सकता है जो अत्यधिक अपमानजनक है और जिसकी निंदा नहीं की जा सकती है।

अनुमोदित-इसलिए, उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित विवादित आदेश को रद्द कर दिया जाता है और दरकिनार कर दिया जाता है-प्रतिवादी अभियुक्त को आत्मसमर्पण करने और मुकदमे का सामना करने का निर्देश दिया जाता है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि प्रतिवादी-अभियुक्त के खिलाफ आरोप बहुत गंभीर हैं।

प्रकृति अर्थात आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 384,386,387 के अधीन अपराध। अभिलेख पर सामग्री पर विचार करने पर जाँच एजेंसी ने प्रावधानों को लागू किया है

महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 (मकोका)। जाँच के बाद अभियुक्त के खिलाफ आई. पी. सी. के साथ-साथ एम. सी. ओ. सी. ए. के तहत अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर किया गया है। विवादित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया है, वह भी अंतरिम राहत के रूप में। इस न्यायालय द्वारा निर्णयों के आधार पर निर्धारित कानून के अनुसार, खंड पीठ को अंतरिम राहत के माध्यम से आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं करना चाहिए था [मैसर्स निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट के मामले में इस न्यायालय का निर्णय देखें। लिमिटेड बनाम। महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2021 की आपराधिक अपील No.330 13.04.2021 पर निर्णय लिया गया)]। [पैरा 9] [314-ई-एच]

2. यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा करते समय वह भी अंतरिम राहत के रूप में उच्च न्यायालय ने

अभियुक्त। जाँच के बाद यह पाया गया है कि प्रतिवादी-आरोपी मटका व्यवसाय चला रहा है; एक अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर और उसके गिरोह को धन प्रदान कर रहा है; कि आरोपी हथियार खरीदने के खर्च के लिए धन की व्यवस्था कर रहा है। वह संगठित अपराध सिंडिकेट का सक्रिय सदस्य है। विवादित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने कहा है कि मकोका के प्रावधानों को लागू करने की मंजूरी कानूनी रूप से खराब है क्योंकि रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है। इसलिए, यहां तक कि उच्च न्यायालय-महाराष्ट्र राज्य बनाम।

पंकज जग्गी

गांगर

अन्य के संबंध में आरोपों पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है

आई. पी. सी. के तहत अपराध। यहां तक कि एम. सी. ओ. सी. ए. के प्रावधानों पर मुकदमा चलाने/लागू करने की मंजूरी पर अंतरिम राहत स्तर पर इस तरह का अवलोकन भी आवश्यक नहीं था। वस्तुतः उच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत स्तर पर मकोका के तहत अपराध के लिए आरोपी को बरी कर दिया है और प्रतिवादी को मकोका से दोषमुक्त करते हुए अंतरिम स्तर पर अंतिम राहत प्रदान की है, जो पूरी तरह से अपराध है।

अस्वीकार्य। [पैरा 9.1] [314-एच; 325-ए-सी] 3. यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि विस्तृत निर्णय और आदेश द्वारा, विशेष न्यायाधीश/मकोका ने जारी करने से इनकार कर दिया

जमानत पर अभियुक्त। अभियुक्त ने इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी। अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत याचिका पर एकल न्यायाधीश द्वारा सुनवाई की गई। विद्वान एकल न्यायाधीश अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के लिए इच्छुक नहीं थे और इसलिए अभियुक्त ने उसे वापस ले लिया और उसके बाद चुनौती देने की आड़ में उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष रिट याचिका दायर की।

मकोका के अधिकार और उपरोक्त पर ध्यान दिए बिना, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया है, वह भी अंतरिम राहत के माध्यम से, जो अन्यथा आरोपी विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष प्राप्त नहीं कर सका और उसने जमानत याचिका वापस ले ली। उपरोक्त को अभियुक्त द्वारा फोरम शॉपिंग कहा जा सकता है जो अत्यधिक नापसंद है और जिसे अनुमोदित नहीं किया जा सकता है। इस आधार पर भी, अभियुक्त जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है और उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने का विवादित आदेश रद्द किए जाने और खारिज किए जाने का हकदार है। [पैरा 9.2] [315-डी-एफ]

मेसर्स निहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. लि. बनाम राज्य महाराष्ट्र और अन्य (की आपराधिक अपील No.330

2021 13.04.2021)] पर तय किया गया-संदर्भित। आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

2021 का No.1493।

2018 की आपराधिक रिट याचिका No.4639 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 29.01.2019 से। सचिन पाटिल, राहुल चिटनिस, आदित्य ए. पांडे, जियो जोसेफ, एड. अपीलार्थी के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिद्धार्थ दवे, वरिष्ठ अधिवक्ता। , आदित्य वर्मा, सुश्री प्रियंवदा मिश्रा, आदित्य सिंह, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित दिनांकित 29.01.2019 के विवादित आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना।

बॉम्बे में 2018 की आपराधिक रिट याचिका संख्या 4639 में, जिसके द्वारा डिवीजन बेंच ने एक अंतरिम राहत के माध्यम से प्रतिवादी को निर्देश दिया-आरोपी को 2017 के विशेष एम. सी. ओ. सी. No.24 में जमानत पर रिहा किया जाए, जो 2017 की सी. आर. संख्या I-190 से उत्पन्न होता है, जो कासरवडवली पुलिस स्टेशन में पंजीकृत है, महाराष्ट्र राज्य ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

किसी भी तरह से स्वीकृत। तथ्य अपने लिए बोलते हैं, जो इस प्रकार हैंः 2.1 कि आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 384,386,387 के तहत अपराधों के लिए 2017 की सी. आर. संख्या-190 के रूप में एक एफ. आई. आर. दर्ज की गई थी।

तीन नामित अभियुक्त व्यक्तियों इकबाल इब्राहिम कासकर, इसरार जमील सैयद और मुमताज एजाज शेख उर्फ राजू के खिलाफ। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले को विस्तृत रूप से निपटाया गया है और ठाणे के विद्वान विशेष न्यायाधीश (एम. सी. ओ. सी.) द्वारा एक्स. एच. के नीचे पारित अपने आदेश दिनांक 26.03.2018 में विचार किया गया है। 15 2017 के एम. सी. ओ. सी. No.24 में, जिसके द्वारा विद्वान विशेष न्यायाधीश ने प्रतिवादी द्वारा जमानत के लिए प्रस्तुत आवेदन को खारिज कर दिया और इसलिए इसे दोहराया नहीं जाता है। हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जांच के दौरान यह पाया गया कि अंतरराष्ट्रीय गैंगस्टर शकील बाबू मोहिद्दीन शेख द्वारा संगठित अपराध किया गया है

@ छोटा शकील @सी. एस. और इकबाल इब्राहिम कासकर @इकबाल हसन

शेख इब्राहिम और यह भी पाया गया कि समय-समय पर, प्रतिवादी इस तरह के संगठित अपराध सिंडिकेट को राशि का भुगतान कर रहा था और अन्य गिरोह जिन्हें वे राशि का भुगतान करके अन्य सदस्यों की मदद लेने के लिए उक्त राशि का उपयोग करते थे और यह भी पाया गया कि इसमें प्रतिवादी बोरीवली, मुंबई में मटका व्यवसाय चला रहा है, पूर्व मंजूरी के बाद महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के प्रावधान लागू हुए। जाँच के बाद आईपीसी के प्रावधानों के साथ-साथ मकोका के तहत एक आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था। प्रतिवादी-अभियुक्त ने विद्वान विशेष न्यायाधीश के समक्ष जमानत याचिका दायर की। एक विस्तृत और तर्कपूर्ण निर्णय और आदेश द्वारा और महाराष्ट्र राज्य द्वारा भरोसा किए गए बयानों पर विचार करने के बाद।

पंकज जग्गी नगर [एम. आर. शाह, जे.]

अभियोजन पक्ष जो आरोप पत्र का हिस्सा हैं, विद्वान विशेष न्यायाधीश ने दिनांक 26.03.2018 के आदेश के माध्यम से उक्त जमानत आवेदन को खारिज कर दिया।

3. जमानत की अस्वीकृति से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना

विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा आवेदन, इसमें प्रतिवादी-अभियुक्त ने 2018 के जमानत आवेदन No.855 के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा भी यही सुना गया था। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 13.07.2018 के आदेश से, यह प्रतीत होता है और इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि प्रतिवादी-अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को विस्तार से सुनने के बाद और जब उच्च न्यायालय कोई राहत देने के लिए इच्छुक नहीं था, तो विद्वान वकील ने निर्देशों पर उक्त जमानत आवेदन को वापस ले लिया। इसलिए, उपरोक्त जमानत याचिका को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 13.07.2018 के आदेश के माध्यम से वापस लिए जाने के कारण खारिज कर दिया गया। उपरोक्त जमानत आवेदन को वापस लेने के तुरंत बाद प्रतिवादी-अभियुक्त ने उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष रिट याचिका दायर की और निम्नलिखित राहत के लिए अनुरोध कियाः

" (ए) एम. सी. ओ. सी. ए. की धारा 23 (1) (ए) को पूरी तरह से निरस्त कर दें। मनमाना, दिशाहीन, असंवैधानिक और इस प्रकार, असंवैधानिक होना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,19 और 21 का उल्लंघन;

'पूर्व अनुमोदन' होने वाले शब्दों के दायरे और दायरे को चित्रित करें। एम. सी. ओ. सी. ए. की धारा 23 (1) (ए) में यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसे सनक, कल्पनाओं पर निर्भर एक खाली औपचारिकता नहीं बनाया गया है,

संबंधित अधिकारी के पूर्वाग्रह और इच्छाएं;

(ख) मकोका की धारा 21 (4) के प्रावधान को निरस्त करना और

जमानत पर रिहाई के लिए लगाई गई दोहरी शर्तों को घोषित करें, जैसे

इसमें असंवैधानिक और अनुच्छेद का उल्लंघन करने वाला होना

14 और भारत के संविधान का 21;

(ग) विवादित पूर्व अनुमोदन आदेश को रद्द करना और अलग करना।

दिनांक 10.10.2017 (एक्स. एच.-बी. सुप्रा) विवादित धारा के तहत जारी किया गया

23 (1) (क) याचिकाकर्ता को, और परिणामस्वरूप रद्द करने के लिए

विशेष मकोका मामला सं. में याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही। 24 से

2017 आई. पी. सी. की धारा 384,386,387,34 और 120 (बी) और सी. आर. सं. से उत्पन्न होने वाले मकोका, 1999 की धारा 3 (1) (ii), 3 (2), 3 (4) और 3 (5) के तहत। जहां

तक मकोका की धारा 3 (1) (ii), 3 (2), 3 (4) और 3 (5) के तहत अपराधों का संबंध है, ठाणे में कासरवडवली पुलिस स्टेशन की 2017 की धारा 190 (ए. एस. एच.-ए. सुप्रा) और दिनांक 29.11.2017 (ए. एस. एच.-एफ. सुप्रा) की आरोप पत्र उस पर लागू की गई है। [2021] 9 एस. सी. आर

(घ) याचिकाकर्ता को ऐसी शर्तों पर स्वतंत्रता प्रदान करना जो उपयुक्त समझी जाएं।

न्याय का हित;

(ई) अंतरिम/विज्ञापन-अंतरिम चरण में, तत्काल आवेदन का अंतिम निपटान लंबित होने पर, याचिकाकर्ता को कृपया इस पद से मुक्त किया जा सकता है।

कसारवडवली पुलिस स्टेशन, ठाणे में पंजीकृत सी. आर. No.1-190/2017 से उत्पन्न 2017 के विशेष मकोका मामले में हिरासत, इस तरह की अंतरिम जमानत पर, उपयुक्त नियमों और शर्तों पर,

यह माननीय न्यायालय उचित और उचित समझता है।

3.1 विवादित आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने एम. सी. ओ. सी. ए. की धारा 23 (1) (ए) के अधिकारों को चुनौती देने वाली रिट याचिका में और धारा के प्रावधानों को निरस्त करने के अनुरोध पर नियम जारी करने का निर्देश दिया है।

21 (4) एम. सी. ओ. सी. ए. और जमानत पर रिहाई के लिए लगाई गई दोहरी शर्तों को असंवैधानिक और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करने वाला घोषित करना। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा लंबित रिट याचिका में उपरोक्त दो प्रावधानों की संवैधानिकता पर विचार किया जाना बाकी है। हालांकि, उपरोक्त दो प्रावधानों की शक्तियों को चुनौती देने वाली रिट याचिका में, उच्च न्यायालय ने मकोका के प्रावधानों को लागू करने के लिए अतिरिक्त पुलिस आयुक्त द्वारा मंजूरी/अनुमोदन पर भी विचार किया है और गुण-दोष पर विचार किया है।

इस स्तर पर साक्ष्य की सराहना की आवश्यकता नहीं है, और जैसे कि उच्च न्यायालय धारा 482 Cr.PC के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर रहा था

और/या आरोपमुक्त करने के आवेदन पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा है कि एम. सी. ओ. सी. ए. के प्रावधानों के आह्वान के लिए अनुमोदन प्रदान करने वाले अतिरिक्त पुलिस आयुक्त द्वारा दिनांक 10.10.2017 द्वारा पारित आदेश विवेकहीन है।

इसके बाद ऐसा करने के बाद और रिट याचिका स्वीकार करते समय

उपरोक्त दो प्रावधानों के अधिकारों को चुनौती देते हुए, उच्च न्यायालय ने यह निर्देश देते हुए अंतरिम राहत प्रदान की है कि प्रतिवादी को सी. आर. No.1-190/2017 से उत्पन्न 2017 के विशेष एम. सी. ओ. सी. No.24 में जमानत पर रिहा किया जाए। इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने जमानत की राहत प्रदान की है जिसे प्रतिवादी-अभियुक्त जमानत आवेदन में विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष प्राप्त नहीं कर सके।

4. उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा जारी किए गए विवादित फैसले और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना

प्रतिवादी-जमानत पर अभियुक्त, वह भी अंतरिम राहत के रूप में, राज्य सरकार ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

5. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील-राज्य ने जोरदार रूप से प्रस्तुत किया है कि तथ्यों और परिस्थितियों में मामले में, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी-अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने में एक गंभीर गलती की है और वह भी अंतरिम राहत के माध्यम से।

5.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा करते समय, उच्च न्यायालय ने कथित अपराधों की गंभीरता पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने भी उचित रूप से सराहना नहीं की है और

इस तथ्य पर विचार करते हुए कि पहले एक विस्तृत निर्णय और आदेश द्वारा विद्वान विशेष न्यायाधीश/मकोका न्यायाधीश ने जमानत आवेदन को खारिज कर दिया था और उसके बाद भी अभियुक्त ने उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन को प्राथमिकता दी, जिसकी सुनवाई विद्वान एकल न्यायाधीश ने की थी और अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सहित संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुनने के बाद, क्योंकि विद्वान एकल न्यायाधीश अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के लिए इच्छुक नहीं था, अभियुक्त ने उक्त जमानत आवेदन वापस ले लिया और उसके बाद मकोका के प्रावधानों के अधिकारों को चुनौती देने की आड़ में उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष एक रिट याचिका दायर की और अंतरिम राहत के लिए अनुरोध किया जो दुर्भाग्य से उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा दी गई है।

5.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है कि जांच के बाद एक विस्तृत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है।

जाँच एजेंसी द्वारा अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

5.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा अंतरिम राहत के माध्यम से अभियुक्त को जमानत पर रिहा करना है मैसर्स निहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के मामले में इस अदालत के फैसले को देखते हुए यह कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। लिमिटेड बनाम। महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2021 की आपराधिक अपील No.330 13.04.2021 पर निर्णय लिया गया)

5.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तरह के विवादित आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को लगभग अपराधों के लिए बरी कर दिया है

मकोका और वह भी अंतरिम चरण में। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अंतरिम चरण में, उच्च न्यायालय ने एम. सी. ओ. सी. ए. का आह्वान करते हुए उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा दी गई मंजूरी/मंजूरी को रद्द कर दिया है, जो अनुचित और असामयिक है। 5.5 यह प्रस्तुत किया जाता है कि जांच एजेंसी द्वारा एकत्र की गई रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री थी, जो आरोप पत्र का हिस्सा थी कि प्रतिवादी-आरोपी [2021] 9 एस. सी. आर. के खर्चों के लिए धन की व्यवस्था करता है।

हथियार, जानकारी खरीदना और वह संगठित अपराध सिंडिकेट का सक्रिय सदस्य है।

6. उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए अपील करें।

7. प्रतिवादी-अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ दवे ने वर्तमान अपील का विरोध किया है।

7.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने पर, उच्च न्यायालय ने

7.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादी को वर्ष 2019 में उच्च न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया गया है और दो साल से अधिक समय बीत चुका है और ऐसा कोई आरोप नहीं है कि आरोपी ने उसे जमानत देते समय स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है। इसलिए, यह अनुरोध किया जाता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा दी गई जमानत को रद्द न किया जाए। 8. हमने संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को विस्तार से सुना है।

9. शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि प्रतिवादी-अभियुक्त के खिलाफ आरोप प्रकृति में बहुत गंभीर हैं अर्थात अपराध।

आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 384,386,387 के तहत। अभिलेख पर सामग्री पर विचार करने पर जांच एजेंसी ने मकोका के प्रावधानों को लागू किया है। जाँच के बाद अभियुक्त के खिलाफ आई. पी. सी. के साथ-साथ एम. सी. ओ. सी. ए. के तहत अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर किया गया है। विवादित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया है, वह भी अंतरिम राहत के रूप में। इस न्यायालय द्वारा निर्णयों के आधार पर निर्धारित कानून के अनुसार, खंड पीठ को अंतरिम राहत के माध्यम से आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं करना चाहिए था [मैसर्स निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट के मामले में इस न्यायालय का निर्णय देखें। लिमिटेड बनाम। महाराष्ट्र राज्य और

अन्य (2021 की आपराधिक अपील No.330 का निर्णय 13.04.2021 पर लिया गया)] 9.1 यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा करते समय वह भी अंतरिम राहत के रूप में उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र राज्य बनाम.

पंकज जग्गी नगर [एम. आर. शाह, जे.]

अभियुक्त के खिलाफ कथित अपराधों की गंभीरता पर विचार किया गया। जाँच के बाद यह पाया गया है कि प्रतिवादी-अभियुक्त मटका व्यवसाय चला रहा है; छोटा शकील और उसके गिरोह को धन प्रदान कर रहा है; कि अभियुक्त हथियार, जानकारी खरीदने के खर्च के लिए धन की व्यवस्था कर रहा है और वह संगठित अपराध सिंडिकेट का सक्रिय सदस्य है। विवादित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने कहा है कि मकोका के प्रावधानों को लागू करने की मंजूरी कानूनी रूप से खराब है क्योंकि रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने भी आई. पी. सी. के तहत अन्य अपराधों के संबंध में आरोपों पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है। यहां तक कि एम. सी. ओ. सी. ए. के प्रावधानों पर मुकदमा चलाने/लागू करने की मंजूरी पर अंतरिम राहत स्तर पर इस तरह का अवलोकन भी आवश्यक नहीं था। वस्तुतः उच्च न्यायालय ने आरोपी को अंतरिम राहत स्तर पर मकोका के तहत अपराध के लिए बरी कर दिया है और प्रतिवादी को मकोका से दोषमुक्त करते हुए अंतरिम स्तर पर अंतिम राहत प्रदान की है, जो पूरी तरह से अस्वीकार्य है।

9.2 यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि विस्तृत निर्णय और आदेश द्वारा, विद्वान विशेष न्यायाधीश/मकोका ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने से इनकार कर दिया। अभियुक्त ने इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी। अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन की सुनवाई विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा की गई थी। विद्वान एकल न्यायाधीश अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के लिए इच्छुक नहीं थे और इसलिए अभियुक्त ने उसे वापस ले लिया और उसके बाद वरीयता दी।

मकोका के अधिकारों को चुनौती देने की आड़ में उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष रिट याचिका और उपरोक्त पर ध्यान दिए बिना, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया है, वह भी अंतरिम राहत के माध्यम से, जो अन्यथा आरोपी विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष प्राप्त नहीं कर सका और उसने जमानत याचिका वापस ले ली। उपरोक्त को अभियुक्त द्वारा फोरम शॉपिंग कहा जा सकता है जो अत्यधिक नापसंद है और जिसे अनुमोदित नहीं किया जा सकता है। इस आधार पर भी, अभियुक्त जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है और उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने का विवादित आदेश रद्द किए जाने और खारिज किए जाने का हकदार है।

10. अब जहाँ तक अभियुक्त की ओर से प्रस्तुतियाँ हैं कि अभियुक्त को वर्ष 2019 में अभियुक्त के अनुसार रिहा कर दिया गया है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश और उसके बाद उसने उसे जमानत पर रिहा करते समय दिखाई गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है, इसलिए विवादित आदेश को रद्द नहीं किया जा सकता है और जमानत को रद्द नहीं किया जा सकता है, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इस न्यायालय द्वारा [2021] 9 एस. सी. आर. को रिहा करने के गलत आदेश को रद्द करने और रद्द करने के निर्णयों में निर्धारित कानून के अनुसार।

जमानत पर अभियुक्त और स्वतंत्रता के दुरुपयोग आदि पर अभियुक्त की जमानत रद्द करने के लिए, दोनों अलग-अलग आधार पर खड़े हैं और अलग-अलग मानदंड होंगे

11. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील सफल होती है। विवादित आदेश दिनांक 29.01.2019 पारित किया गया 2018 की आपराधिक रिट याचिका No.4639 में उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा 2017 के विशेष एम. सी. ओ. सी. No.24 के संबंध में प्रतिवादी-अभियुक्त को सी. आर. नं. कासरवडवली पुलिस में पंजीकृत 2017 का आई-190, इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है। नतीजतन प्रतिवादी-अभियुक्त को तुरंत आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है।

और मुकदमे का सामना करना। यदि प्रत्यर्थी तुरंत आत्मसमर्पण नहीं करता है, तो संबंधित न्यायालय द्वारा गैर-जमानती वारंट जारी करके उसकी उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। तदनुसार वर्तमान अपील की अनुमति है।

अंकित ज्ञान

अपील की अनुमति दी गई।